श्रीयादे माटी कला बोर्ड के लिए राज्य सरकार की 80% अनुदान योजना के तहत विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त करने हेतु आवेदन

आवेदन–पत्र

फोटो

1. *आवेदक का नामः–...............................पिता/पति का नामः–............................*

2. *जन्म तिथीः–..................................मोबाइल नंः–...*

3. *पताः– वर्तमान पता...*
   स्थाई पताः–...
   ...

4. *आधार नं0ः–.. 5. जन आधार नं0ः–..*

5. *यदि पूर्व में माटी कला बोर्ड में आवेदन किया है तो उसका क्रमांक..*

6. *यदि बी.पी.एल/अन्त्योदय कार्ड धारक है तो कार्ड नं0ः–..*
   राशन कार्ड नं...

7. *केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आर्टीजन कॉर्ड है/नहीं (यदि हां तो फोटो प्रति संलग्न करें)*

8. *दिव्यांगजनः– हां/नही ( ) यदि हॉ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।*

9. *विधवा/परित्यक्ता /एकल महिला ( )*

10. *शैक्षणिक योग्यता निरक्षर/साक्षर/ मेट्रिक पास/ ग्रेजुएशन/अन्य ( )*

11. *वर्तमान में परम्परागत चाक पर कार्य कर रहे हैः– हां/नहीं ( )*

12. *क्या आवेदक ने पूर्व में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना मेंः–*

    (अ) विद्युत चालित चाक प्राप्त किया हैः– हां/नही ( )

    (ब) मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त की है हैः– हां/नही ( )

13. *आवेदन श्रेणी (✔) लगायें।*
    1. *विद्युत चालित चाक प्राप्ति हेतु आवेदन कर रहा हूँ ( )*
    2. *मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्ति हेतु आवेदन कर रहा हूँ ( )*
    3. *विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्ति हेतु आवेदन कर रहा हूँ। ( )*

मैं शपथ घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है तथा जानकारी गलत पायी जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। मैं प्रशिक्षण से पूर्व स्वयं की 20% हिस्सा राशि जमा करवा दूंगा/दूंगी।

स्थान–

दिनांक–

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.............................पुत्र/पुत्री श्री.................... निवासी..का रहने वाला है। आवेदनकर्ता माटीकला का आर्टिजन है। आवेदनकर्ता विकलांग/विधवा/परित्यकता/एकल महिला/सामान्य आवेदक है। मैं आवेदनकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/जानती हूँ।

महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/
राजपत्रित अधिकारी/ग्राम विकास
अधिकारी/पटवारी/उद्योग प्रसार अधिकारी

श्रीयादे माटी कला बोर्ड के लिए राज्य सरकार की 80% अनुदान योजना के तहत विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश

राजस्थान सरकार ने माटी कला आर्टिजनों के लिए वर्ष 2026–27 के बजट में 5000 विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनों के लिए 15 करोड रूपये अनुदान (80 % अनुदान) की घोषणा की है, जिसके तहत माटी कला में रुचि रखने वाले पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। नीचे लिखे दिशा–निर्देशानुसार पात्र व्यक्ति आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकता है।

1. पात्रताः– (अ) आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु का हो।
(ब) आवेदक ने पूर्व में श्रीयादे माटी बोर्ड की योजनान्तर्गत विद्युत चालित चाक/मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त किया हुआ ना हो

2. प्राथमिकताः– (अ) दिव्यांग
(ब) एकल/परित्यक्ता/विधवा महिला
(स) राजीविका सेल्फ–हैल्प ग्रुप से जुड़ी महिला

3. तिथिः– बोर्ड द्वारा आवेदन निर्धारित तिथि/अवधि की सूचना समाचार पंत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में तथा बोर्ड की बेबसाईट ***WWW-SMKB-RAJASTHAN-GOV-IN*** *पर भी देखी जा सकती है।*

4. आवेदन प्रक्रियाः– आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे, ऑनलाईन आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से ई–मित्र/अन्य इन्टरनेट कियोस्क कैफे/स्वयं घर पर इन्टरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित तथा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/राजपत्रित अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/पटवारी/उद्योग प्रसार अधिकारी द्वारा सत्यापित ही स्वीकार्य होगा।

दस्तावेज :– आधार कार्ड, जन आधार, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, दिव्यांग प्रमाण–पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो।

5. चयन प्रक्रियाः– बोर्ड द्वारा निर्धारित समय में ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों में से 5000 मशीनों के लिए पात्र आवेदकों का साक्षात्कार/लॉटरी द्वारा चयन किया जायेगा। चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण से पूर्व स्वयं की 20% हिस्सा राशि डी.डी./चालान द्वारा जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

6. प्रशिक्षणः– उक्त प्रक्रिया द्वारा चयनित व 20% हिस्सा राशि जमा करवाने वाले आर्टिजनों के 20–20 के समूह में जिला/विधानसभा क्षेत्र स्तर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

7. वितरणः– जिला/संभाग स्तर पर आर्टिजनों की सुविधा को ध्यान में रखकर वितरण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिसमें चयनित व प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को ही मशीनों का वितरण व प्रमाण–पत्र प्रदान किये जायेंगे।

नोटः– 1. विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीन का सेट मशीन की लागत मूल्य के 80 प्रतिशत सरकारी अनुदान तथा शेष 20 प्रतिशत राशि पात्र चयनित आवेदक द्वारा स्वयं की हिस्सा राशि जमा करवाने के पश्चात् प्रशिक्षण प्राप्त आर्टिजनों को ही मशीन उपलब्ध करवायी जायेगी।

2. जिन आर्टीजनों ने पूर्व में केन्द्र/राज्य सरकार की योजनान्तर्गत विद्युत चाक प्राप्त किया हुआ है, वो मिट्टी गूंथने की मशीन 80 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु बोर्ड की बेवसाईटः– ***WWW-SMKB-RAJASTHAN-GOV-IN*** *पर संपर्क करें।*